



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082020-221143
CG-DL-E-14082020-221143

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2451]
No. 2451]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2020/श्रावण 23, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2020/SHRAVANA 23, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2020

का.आ. 2768(अ).—डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत जारी घटना प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए ओर्थोपेडिक घटना प्रत्यारोपण के अधिकतम मूल्य को नियत/संशोधित करने से संबंधित दिनांक 16 अगस्त, 2017 के का.आ. 2668(अ) और दिनांक 13 अगस्त, 2018 के का.आ. 3987(अ) और दिनांक 13 अगस्त, 2019 के का.आ. 2934(अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसरण में, घटना प्रतिस्थापन प्रणाली के लिए ऑर्थोपेडिक घटना प्रत्यारोपण के लिए लागू अधिकतम कीमतें जो 15 अगस्त, 2020 तक लागू हैं, इन अधिकतम कीमतों को 15 सितंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

2. दिनांक 16 अगस्त, 2017 के का.आ. 2668(अ) की टिप्पणियां (ख) से (न) तक इस आदेश के जारी होने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[पी.एन./209/77/2020/एफ/फा. सं. 8(77)/2020/डी.पी./एनपीपीए-डीवी-II]

आलोक रंजन, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 14th August, 2020

S.O. 2768(E).—In continuation to the Notifications issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India *vide* S.O. 2668(E) dated 16th August, 2017, S.O. 3987(E) dated 13th August, 2018 and S.O. 2934(E) dated 13th August, 2019 regarding fixation/revision of ceiling prices of the orthopaedic Knee Implants for Knee Replacement System issued under Para 19 of the DPCO, 2013, the ceiling prices as applicable to the orthopaedic Knee Implants for Knee Replacement System up to 15th August, 2020 are hereby extended up to 15th September, 2020.

2. The Notes (b) to (t) of the Notification S.O. 2668(E) dated 16th August, 2017 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/209/77/2020/F/F. No. 8(77)/2020/DP/NPPA/Div.II]

ALOK RANJAN, Asstt. Director